विनापित

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

II/निगरानी/सतना/भू०रा/2017/4723

1— आशीष कुमार उम्र 36 वर्ष तनय जितेन्द्र नाथ तिवारी निवासी अमृत कालोनी , भरहुत नगर सतना म0प्र0

2— अभिषेक कुमार उम्र 32 तनय जितेन्द्र नाथ तिवारी निवासी अमृत कालोनी भरहुत नगर सतना तहसील रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0——————————निगराकार / आपत्तिकर्तागण

बनाम्

1— श्रीमती अजीजुन निशा पत्नी इनायत खॉ निवासी माधवगढ़ तहसील रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0

2— अब्दुल मतलूब खान तनय इनायत खान निवासी माधवगढ़ तहसील रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0

3— शासन म0प्र0सतना——————————गैर निग0 / आवे0गण

निगरानी विरूद्व सीमांकन प्रमाणीकरण आदेश दिनांक 08.06.2016 रा0प्र0क0 67 अ12 / 15—16 सलग्न प्र0क0 16अ 12 / 15—16न्यायालय राजस्व निरीक्षक मण्डल सतना तहसील रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0

धारा 50 का0मा0

श्री विनोद भार्गव एडवो० द्वारा आज दि. 28-11-17 को प्रस्तुत
28-11-17
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पे०दि० 15-12-17

विनोद भार्गव
एडवोकेट
ग्वालियर
28-11-2017

28.11.17

-2-

मान्यवर,

निगराकार/आपत्तिकर्तागण निम्न प्रकार निगरानी प्रस्तुत करते है–

यह कि उक्त निगरानी रा0नि0म0सतना के सीमांकन प्रमाणीकरण आदेश दिनांक 08.06.2016 के विरूद्व निगराकारगणों द्वारा प्रस्तुत की जा रही है ।

<u>प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य</u>

यह कि गैर निगराकार कमांक 2 अब्दुल मतलूब खान दिनांक 09.04.2015 को धारा 129 का0मा0 के अन्तर्गत आ0नं0 1252/2 क/4, आ0नं0– 1252/2क /3 मौजा कृपालपुर तहसील रघुराजनगर जिला सतना का सीमांकन किये जाने हेतु आवेदन पत्र न्यायालय अधीक्षक भू–अभिलेख सतना के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। अधीक्षक भू–अभिलेख ने उक्त आवेदन को रा0प्र0क0 16अ12/15–16 मे पंजीबद्व किया गया तथा दिनांक 01.05.15 को सीमांकन किये जाने हेतु रा0नि0 को आदेश दिये जिसके आधार पर रा0नि0 ने दिनांक 18.05.15 को सीमांकन कर प्रतिवेदन दिनांक 25.07.2015 अधीक्षक भू–अभिलेख एवं भू–प्रबन्धन सतना के समक्ष प्रस्तुत किया गया उक्त सीमांकन में निगराकार अभिषेक तिवारी एवं भीम सिंह द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई जिस पर विचार करते हुये अधीक्षक भू–अभिलेख एवं भू–प्रबन्धन सतना द्वारा दिनांक 14.10.15 को आपत्ति स्वीकार कर रा0नि0 का उक्त सीमांकन प्रतिवेदन दिनांक 25.07.2015 निरस्त कर दिया गया एवं पुनः सीमांकन किया जाकर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु सीमांकन टीम गठित की जाकर रा0नि0 को

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण कमांक दो–निगरानी/सतना/भू.रा./2017/4723

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषव आदि के हस्ताक्षर
12.1.2018	यह निगरानी राजस्व निरीक्षक वृत्त सतना तहसील रघुराजनगर जिला सतना के प्रकरण कमांक 67 अ–12/15–16 में पारित आदेश दिनांक 8–6–16 के विरूद्ध म.प्र.भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत दिनांक 28–11–17 को प्रस्तुत की गई है। 2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदकों ने मौजा कृपालपुरकी आराजी कमांक 1252/2क/3, 1252/2क/4 के सीमांकन की अधीक्षक भू अभिलेख भू प्रबंधन सतना से मांग की, जिस पर अधीक्षक भू अभिलेख भू प्रबंधन सतना ने राजस्व निरीक्षक वृत्त सतना को आवेदन सीमांकन कार्यवाही हेतु प्रेषित किया। राजस्व निरीक्षक ने प्रकरण कमांक 67 अ–12/15–16 पॅजीबद्व किया तथा सीमांकन की सूचना जारी की एंव समाचार पत्र में सीमांकन वावत् विज्ञप्ति का प्रकाशन कराया। हलका पटवारी कृपालपुर एंव हलका पटवारी धूरडांग, हलका पटवारी सेजहटा, राजस्व निरीक्षक नजूल सतना एंव हलका पटवारी डेलोरा की संयुक्त टीम ने दिनांक 10–2–16 को मौके पर जाकर सीमांकन कार्यवाही की, पंचनामा तैयार किया तथा सीमांकन प्रतिवेदन बनाया, जिस पर आवेदकों ने आपत्ति प्रस्तुत की। राजस्व निरीक्षक ने आवेदकों को आपत्ति आवेदन पर सुनवाई का अवसर प्रदान किया है तदुपरांत. प्रकरण कमांक 67 अ–12/15–16 में पारित आदेश दिनांक 8–6–16 पारित किया है तथा आपत्ति अमान्य करते हुये सीमांकन को अंतिमता प्रदान कर दी। आवेदकों के अभिभाषक ने तर्को में बताया है कि अनावेदकों की भूमि के किये गये सीमांकन से आवेदकों की भूमि	

प्रभावित हुई है , किन्तु यह भी निर्विवाद है कि सीमांकित भूमि अनावेदकों के नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर शासकीय अभिलेख में दर्ज है जिसके सीमांकन कराने की वह अधिकारी है। अनावेदकों की भूमि के सीमांकन से आवेदकगण स्वय् की भूमि को प्रभावित होना मानते हैं, तब वह आर.आई. अथवा उससे वरिष्ठ अधीक्षक भू अभिलेख से स्वय् की भूमि का सीमांकन कराने हेतु स्वतंत्र है जिसके कारण अनावेदकों की भूमि के किये गये सीमांकन एंव सीमांकन आदेश दिनॉक 8–6–16 में हस्तक्षेप का औचित्य नहीं है। निगरानी सारहीन होने से इसी–स्तर पर निरस्त की जाती है।

सदस्य